उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 19/8-75—(2) का०-1-1979
लखनऊ, 14 मई, 1979

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों को छोड़ कर राज्यपाल की नियम विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी।

अधिभावी प्रभाव

2—किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषा

3—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,–

(एक) किसी पद के सम्बन्ध में, नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है।

(दो) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

तदर्थ नियुक्तियां का विनियमितीकरण

4—(1) किसी व्यक्ति को–

(एक) जो सेवा में 1-1-1977 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को, उस रूप में निरन्तर सेवारत हो,

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखता हो, और

(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो ; नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

(3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगी।

(4) नियुदित प्राधिकारी अभ्यर्थियों के एक पात्रता-सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो, चयन समिति के समक्ष रखा जायगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम ज्येष्ठता-क्रम में रखे जायेंगे, और वह उसे नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी।

नियुक्तियां

5— नियुक्ति प्राधिकारी नियम 4 के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची से नियुक्तियां उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जायगा

6— इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियां संगत सेवा नियमों या आदेशों के यदि कोई हो, अधीन की गयी समझी जायेगी।

ज्येष्ठता

7—(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायगी।

सेवा की समाप्ति

8—ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो उपयुक्त न पाया जाय या जिसका मामला इस नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन न आता हो तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

आज्ञा से,
सुमन कुमार मॉडवल,
सचिव।

संख्या 19/8-75—(2) कार्मिक—1/1979, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3—समस्त मंत्रि-गण के निजी सचिव।

4—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

5—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।

6—गोपन अनुभाग—1, उ० प्र०, सचिवालय को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/11/79-सी० एक्स० (1), दिनांक 7-5-79 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
सुमन कुमार मॉडवल,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 9 सा० नियुक्ति–15-5-97–(378)–2000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।